Online at: https://researchtrendsjournal.com
Indexed Journal

ISSN No: 2584-282X
Peer Reviewed Journal

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 3; Issue 1; 2025; Page No. 245-250

Received: 07-11-2024
Accepted: 16-12-2024

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण अधिनियम 2009 की भूमिका

[1]Prakash Kumar Singh and [2]Dr. GP Mishra

[1]Research Scholar, India
[2]Associate Professor, Department of Education, Swami Vivekanand University, Sagar, Madhya Pradesh, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19209819

Corresponding Author: Prakash Kumar Singh

सारांश

अपने सांस्कृतिक उपरिकेंद्र के रूप में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी को अध्ययन के ब्रह्मांड के रूप में चुना गया था। वाराणसी में स्थित स्कूल कई लाभ प्रदान करते हैं। वाराणसी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों से घिरा हुआ है। शोधकर्ता ने एक सर्वेक्षण का उपयोग किया क्योंकि यह जांच से वांछित परिणाम प्राप्त करने का सबसे तार्किक तरीका था। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 90 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 30 थी। 360 शिक्षकों, जिनमें प्रधानाध्यापक, 600 छात्र, 24 शैक्षिक अधिकारी, 28 गैर-सरकारी संगठन, और 360 माता-पिता या अभिभावक शामिल थे जिनके बच्चे उन्हीं स्कूलों में नामांकित थे, का चयन और उनसे संपर्क करके आँकड़े एकत्र किए गए। इस शोध के ढांचे में, तीन मानकीकृत उपकरणों का उपयोग किया गया: एक शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची/चेकलिस्ट, एक छात्र प्रश्नावली, और बीआरसी/सीआरसी, शिक्षाविद्, पंचायत सदस्य/एनजीओ, और स्व-अवलोकन के लिए एक अभिभावक चेकलिस्ट। ज़्यादातर ग्रामीण और शहरी वाराणसी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों तक पहुँच में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन घटिया बुनियादी ढाँचे और अकुशल शिक्षण पद्धति के कारण यह अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मूलशब्द: जनगणना, बुनियादी, जनसंख्या, वाराणसी, शैक्षिक।

प्रस्तावना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एक बहुत ही हालिया अधिनियम है और इसे सिर्फ दस साल पहले लागू किया गया था। भारत सरकार की पहल का दुनिया भर में स्वागत किया गया है। विकलांग और वंचित बच्चों के लिए वाराणसी जिले में आरटीई अधिनियम -2009 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाने के लिए वर्तमान अध्ययन किया जाएगा और अधिनियम को लागू करने के लिए वाराणसी जिले की समस्याओं से भी संबंधित है। चूंकि अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में प्रारंभिक गतिविधियाँ करनी थीं। अध्ययन में आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों और अधिनियम के उचित कार्यान्वयन में उनकी कठिनाइयों का पता लगाया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए राज्यों की तैयारी के स्तर का आकलन करना महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार, अध्ययन में राज्य और जिला प्रशासन द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों का पता लगाने का प्रयास किया गया। अध्ययन में वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष बच्चों से संबंधित सभी पहलुओं का भी पता लगाया गया।

किसी राष्ट्र की प्रगति की रूपरेखा में, शिक्षा आधारशिला की तरह खड़ी होती है, जो व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि की नींव रखती है। शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए, दुनिया भर की सरकारों ने सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान और निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। भारत के संदर्भ में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, एक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली की ओर इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनकर उभरा है। 1 अप्रैल, 2010 को लागू, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे आमतौर पर आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है, ने भारत में शैक्षिक सुधार के एक नए युग की शुरुआत की। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, इस अधिनियम ने प्रत्येक बच्चे को अपनी संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं को विकसित करने का अवसर सुनिश्चित करने के लिए

एक व्यापक ढांचा तैयार किया। ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने, शैक्षिक अंतराल को पाटने और सीखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ, अधिनियम ने अतीत की पारंपरिक शिक्षा नीतियों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। आरटीई अधिनियम ज्ञान-संचालित समाज के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे-जैसे हम इस कानून की जटिल भूलभुलैया से गुजरते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि आरटीई अधिनियम केवल एक कानूनी ढांचा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली साधन है, जो आने वाली पीढ़ियों के प्रक्षेपवक्र को नया रूप देने की क्षमता रखता है। हालांकि, इसका कार्यान्वयन बाधाओं के बिना नहीं रहा है, जिससे इस नेक प्रयास को रेखांकित करने वाली व्यावहारिक वास्तविकताओं और आकांक्षाओं पर महत्वपूर्ण चिंतन को बढ़ावा मिला है। इस अन्वेषण के माध्यम से, हम आरटीई अधिनियम 2009 की बारीकियों को जानने का प्रयास करते हैं, इसकी सफलताओं, चुनौतियों और भारत के विशाल विस्तार में हर बच्चे के लिए शिक्षा के अधिकार को वास्तविकता बनाने की चल रही यात्रा पर प्रकाश डालते हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 भारत में एक ऐतिहासिक कानून है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा किए गए वादे, शिक्षा के क्षेत्र पर इसका प्रभाव और पिछले कुछ वर्षों में इसके परिणाम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने महत्वपूर्ण वादे किए हैं और भारतीय शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रभाव और परिणाम दिए हैं। हालाँकि यह नामांकन बढ़ाने और समावेशिता को बढ़ावा देने में सफल रहा है, फिर भी शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधन आवंटन और कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। अधिनियम के वादों को पूरा करने और इसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन मुद्दों के समाधान हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।।

साहित्य की समीक्षा

कपूर, राधिका. (2018) [1]. प्रारंभिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस आधार को स्थापित करती है जिस पर व्यक्ति सीखता है। ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है, जिनमें समाज के वंचित, हाशिए पर और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत पर जोर दिया गया है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को समझना है। 1950 में, संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 में संकल्प लिया था कि राज्य संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तब से, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संशोधित 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित कई दस्तावेजों ने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा (यूईई) में भारत के प्रयासों को परिष्कृत करने का प्रयास किया है।

अग्रवाल, बरखा और सिंह, हितैषी। (2017) [2]। समाज के विकास में शिक्षा का एक अंतर्निहित मूल्य है और यह एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होती है। उच्च साक्षरता और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा व्यक्ति को उपलब्ध आर्थिक और अन्य अवसरों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाती है। इसलिए, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करना देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे का नागरिक होने के नाते मूल अधिकार है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में स्वतंत्रता के बाद से कई कदम उठाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के प्रावधान सभी बच्चों को समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों पर आधारित समान, गुणवत्ता आधारित सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसी श्रृंखला में सकारात्मक न्यायोचित कानूनी ढांचा जो देश भर में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार देता है, अर्थात आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम, 2009 और 2001-02 में एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान) कार्यक्रम की शुरुआत को इस दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जाता है। हालाँकि, यह समझना भी ज़रूरी है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सरकार द्वारा की गई ये पहल, विशेष रूप से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के संदर्भ में, समस्या के मूल में किस हद तक पहुँच पाई हैं। इस शोधपत्र में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण कार्यक्रम की अवधारणा की समझ विकसित करने और द्वितीयक स्रोतों से उपलब्ध जानकारी और आँकड़ों तथा पूर्व शोधों की समीक्षा की सहायता से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। अंत में, यह शोधपत्र कार्यक्रम के बेहतर प्रदर्शन के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव और सिफ़ारिशें प्रस्तुत करता है।

थापा, रुक्मिणी और सरकार, कौस्तव। (2019) [3]। स्कूल में भागीदारी और पूर्णता पर द्वितीयक डेटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि आठ साल की स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देना भारत में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की उपलब्धि को चुनौती देता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च ड्रॉपआउट दरों की पृष्ठभूमि में, यह लेख पश्चिम बंगाल के एक परिधीय शहरी बस्ती में 2008-2009 में किए गए एक क्षेत्र सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर चर्चा करता है। 2013 में पांच साल बाद उन्हीं घरों का सर्वेक्षण किया गया। इसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और कम आय वाले बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों के बीच प्राथमिक शिक्षा में आने वाली बाधाओं को समझना था। यह पाया गया कि सरकारी स्कूलों तक भौतिक पहुंच के बावजूद, घर पर आजीविका के दबाव और घरेलू काम और आय पैदा करने वाले काम के दोहरे बोझ के कारण बच्चों की उम्र के साथ ड्रॉपआउट दर बढ़ गई।

रस्तोगी, श्रुति. (2020) [4]. बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2009 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अभूतपूर्व कानून था और 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। यह संविधान के 86वें संशोधन पर आधारित है जिसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 21 के बाद एक अनुच्छेद 21 (ए) डाला गया था। अनुच्छेद 21 (ए) में प्रावधान है कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उनके मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। इसमें कहा गया है कि 6-18 वर्ष की आयु के अलग-अलग सक्षम बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह अध्ययन विशेष रूप से विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के संदर्भ में आरटीई द्वारा स्थापित लाभों की पहुंच का आकलन करने पर केंद्रित है। एक कानून को तभी सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है जब हितधारक और कार्यकर्ता जो इससे लाभान्वित होंगे, निष्पादन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार हों। इस उद्देश्य से, यह अध्ययन लखनऊ जिले के प्राथमिक विद्यालयों में विशेष बच्चों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के विभिन्न कार्यक्रमों और सिद्धांतों के बारे में अभिभावकों की जागरूकता के स्तर का मानचित्रण करता है। इस उद्देश्य से, इस

अध्ययन के शोधकर्ता ने लखनऊ जिले के चार प्रखंडों में 120 अभिभावकों के यादृच्छिक रूप से चयनित नमूने का गहन अध्ययन किया। अनुभवजन्य आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों के बारे में अभिभावकों की जागरूकता काफ़ी कम है। नीति निर्माताओं, स्कूल प्राधिकारियों, राज्य और जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारियों को अभिभावकों के साथ मिलकर समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। अध्ययन का समापन समावेशन को अक्षरशः और भावनापूर्वक सुगम बनाने हेतु सुझावों के साथ होता है।

थापली, आस्था (2015) [5]. चूंकि नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने अपना काम किया है और विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया गया है, इसने न केवल स्कूलों और बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देकर समावेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक विधायी वादा करने का प्रयास किया है, बल्कि माता-पिता भी हैं, जिनके पास यह सुनिश्चित करने की प्रमुख जिम्मेदारी है कि उनके CWSN को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा मिले। यह आरटीई अधिनियम, 2009 के दिशानिर्देशों के अनुसार वंचित और कमजोर वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को प्रभावी और सुलभ बनाने का एक नया दृष्टिकोण है, जिसने माता-पिता को उनके CWSN के अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों और स्थानीय प्रशासन पर जिम्मेदारियों का एक नया सेट रखा है। उत्तराखंड उन राज्यों में से एक है, जिन्होंने समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने में आरटीई अधिनियम, 2009 हासिल करने का दावा किया है। आरटीई अधिनियम, 2009 का पालन करने के प्रति स्कूलों के अनुपालन और आरटीई अधिनियम, 2009 के बारे में माता-पिता की जागरूकता के स्तर और इसके उचित कार्यान्वयन में स्कूलों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की पहचान करने के लिए देहरादून में यह अध्ययन किया गया था।

अनुसंधान क्रियाविधि

कार्यप्रणाली

इस शोध अध्ययन में वर्णनात्मक शोध सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया था। वर्तमान अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को विश्व के रूप में चुना गया था। क्योंकि वाराणसी में स्थित स्कूलों के कई तरह से फायदे हैं। महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय वाराणसी के आसपास स्थित हैं। यह स्पष्ट था कि अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण पद्धति सबसे उपयुक्त थी और इसलिए, शोधकर्ता द्वारा इसे लागू किया गया।

जनसंख्या

इस अध्ययन में वाराणसी जिले के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालयों (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक) को शामिल किया गया है जहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 लागू होता है। उन्होंने इस अध्ययन के लिए जनसंख्या का निर्धारण किया। इस प्रकार, 06-14 वर्ष आयु वर्ग के छात्र, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय) के शिक्षक और प्रधानाध्यापक, पंचायत प्रमुख, गैर सरकारी संगठन, बीआरसी/सीआरसी सह-समन्वयक, अभिभावक इस अध्ययन की जनसंख्या का गठन करते हैं जो वाराणसी जिले से संबंधित हैं।

नमूना और नमूनाकरण तकनीक: अध्ययन के उद्देश्यों और प्रारंभिक शिक्षा द्वारा आच्छादित जनसंख्या वितरण के विशाल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, इस अध्ययन के लिए सोद्देश्य प्रतिचयन तकनीक अपनाई गई। सोद्देश्य प्रतिचयन विधि द्वारा, वाराणसी जिले के 10 प्रखंडों में से 3 प्रखंडों: हरहुआ, चिरईगांव और पिड़रा के 120 प्राथमिक विद्यालयों (90 प्राथमिक और 30 उच्च प्राथमिक) को आँकड़े एकत्र करने के लिए चुना गया। आँकड़ों के संग्रह हेतु 360 शिक्षकों, जिनमें प्रधानाध्यापक भी शामिल हैं, 600 छात्रों, 24 शिक्षा अधिकारियों, 28 गैर-सरकारी संगठनों और 360 अभिभावकों या अभिभावकों, जिनके बच्चे उसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, का चयन किया गया और उनसे संपर्क किया गया। अध्ययन के लिए केवल इच्छुक उत्तरदाताओं से ही संपर्क किया गया।

चर उपकरण

इस अध्ययन के संदर्भ में तीन मानकीकृत उपकरण (शिक्षकों के लिए एक साक्षात्कार अनुसूची/जांच सूची, छात्रों के लिए एक अनुसूची/प्रश्नावली और अभिभावकों बीआरसी/सीआरसी, शिक्षाविद्, पंचायत सदस्य/एनजीओ और स्व-अवलोकन अनुसूची के लिए एक जांच सूची) को अपनाया गया था। आरटीई अधिनियम-2009 के बारे में जागरूकता की जांच करने के लिए शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों के लिए एक स्व-निर्मित अनुसूची/प्रश्नावली और शिक्षा की गुणवत्ता की जांच के उद्देश्य से एक शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षण को अपनाया गया था।

डेटा विश्लेषण

आरटीई अधिनियम- 2009 के कार्यान्वयन से पहले और बाद में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति का आकलन और तुलना करना है।

तालिका 1: वाराणसी जिले में साक्षरता दर

वर्ष	2009-2010			2016-2017			2018-2019		
को प्रतिशत	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
	80.60	53.00	66.10	85.10	68.20	77.10	87.20	72.40	80.30

तालिका 1 दर्शाती है कि 2009-2010 में वाराणसी में साक्षरता दर 66.10% (पुरुष-80.60% और महिला-53.00%) दर्ज की गई थी। वर्ष 2016-2017 में साक्षरता दर 77.10% (पुरुष-85.10 और महिला-68.20%) तक बढ़ गई। इसी प्रकार 2018-19 में कुल साक्षरता दर 80.30% तक बढ़ गई (पुरुष-87.20% और महिला-72.40%)।

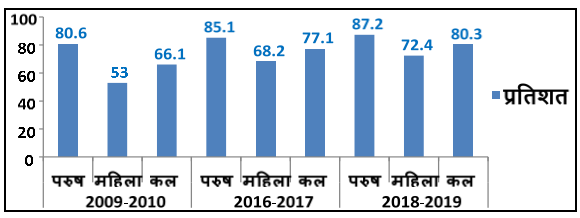

चित्र 1: वाराणसी जिले में साक्षरता दर

तालिका 2: वाराणसी जिले के सभी प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2009-2010	2016-2017	2018-2019
स्कूलों की संख्या	2013	2707	3347

तालिका-2 दर्शाती है कि 2009-10 में वाराणसी में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2013 थी, जो 2016-17 में बढ़कर 2707 हो गई। तालिका वर्ष 2018-2019 में 3347 प्राथमिक विद्यालयों को भी दर्शाती है। अतः, H2- प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के लागू होने के बाद हुई है, क्योंकि वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 1334 की वृद्धि हुई है। नए प्राथमिक विद्यालयों के खुलने की दर 66.25% थी। समग्र आँकड़ों को निम्नलिखित आकृति से आसानी से समझा जा सकता है:

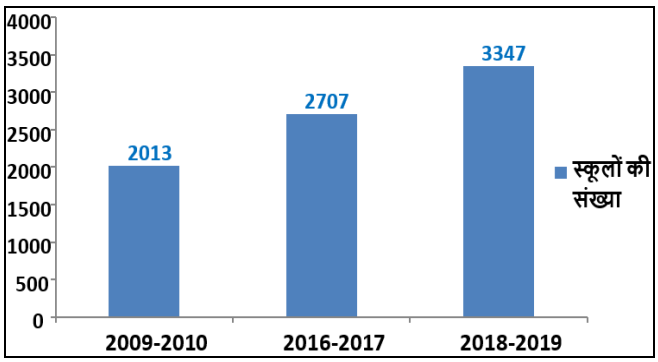

चित्र 2: वाराणसी जिले के सभी प्राथमिक विद्यालय

तालिका 3: वाराणसी में सरकारी प्राथमिक विद्यालय (बेसिक शिक्षा विभाग)

वर्ष	2009-2010	2016-2017	2019-2020
स्कूलों की संख्या	1407	1404	1430

तालिका-3 दर्शाती है कि 2009-10 में वाराणसी में कुल सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1407 थी। वर्ष 2016-17 में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1404 थी। तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2018-19 में कुल 1430 प्राथमिक विद्यालय थे। वर्ष 2009-10 से 2019-20 तक कुल सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 23 की वृद्धि हुई। नए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के खुलने की दर केवल 1.63% थी। समग्र आँकड़ों को निम्नलिखित आंकड़े से आसानी से समझा जा सकता है:

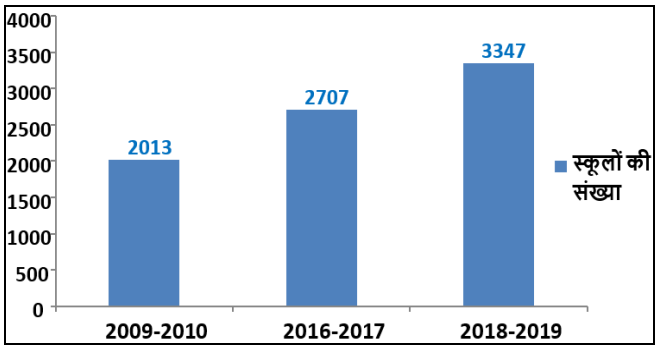

चित्र 3: वाराणसी जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय (बेसिक शिक्षा विभाग)

तालिका 4: वाराणसी में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय (बेसिक शिक्षा परिषद)।

वर्ष	2009-2010	2016-2017	2019-2020
स्कूलों की संख्या	1366	1368	1368

तालिका 4 दर्शाती है कि 2009-10 में वाराणसी में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कुल 1366 सरकारी प्राथमिक विद्यालय थे। वर्ष 2016-17 में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1368 थी। तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2019-20 में कुल 1368 प्राथमिक विद्यालय थे। तालिका यह भी दर्शाती है कि पिछले चार वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा कोई भी विद्यालय नहीं खोला गया। समग्र आँकड़ों को निम्नलिखित आकृति से आसानी से समझा जा सकता है:

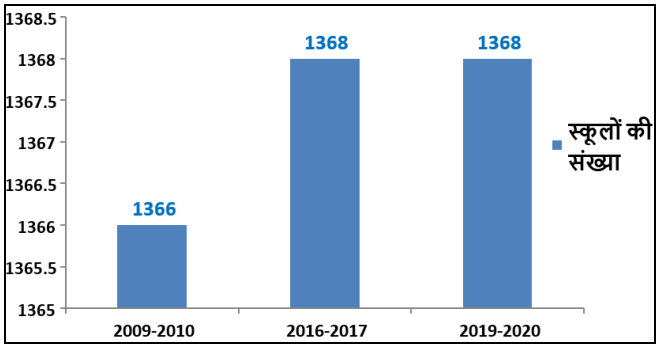

चित्र 4: वाराणसी जिले में सरकारी प्राथमिक विद्यालय (बेसिक शिक्षा परिषद)

तालिका 5: सभी प्राथमिक विद्यालय (ब्लॉक-वाराणसी जिले में (2018)-19)

ब्लॉक का नाम	सरकार	एडेड	निजी	अन्य	स्कूलों की संख्या
अराजीलाइन्स	198	20	143	06	367
बारागॉव	152	18	102	20	292
चिराईगांव	161	13	142	05	321
चोलापुर	159	15	096	02	272
हरहुआ	151	14	144	06	315
काशीविद्यापीठ	130	09	231	15	385
नगर निगम	120	89	466	71	746
नगर पालिका रामनगर	016	01	031	05	053
पिंडरा	188	15	106	08	317
सेवापुरी	155	16	102	06	279
कुल	1430	210	1563	144	3347

तालिका 5 दर्शाती हैवाराणसी में विद्यालयों की कुल संख्या (ब्लॉकवार)। आराजीलाइंस में कुल प्राथमिक विद्यालय 367, बड़ागांव में 292, चिरईगांव में 321, चोलापुर में 272, हरहुआ में 315, काशीविद्यापीठ में 385, नगर निगम में 746, नगर पालिका रामनगर में 53, पिंडरा में 317 और सेवापुरी में 279 हैं। 22.28% प्राथमिक विद्यालय शहरी क्षेत्र (नगर निगम) में और 77.72% प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। शोधकर्ता ने अपने अवलोकन में पाया कि कई स्कूल लगभग शहरी क्षेत्र में स्थित हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र अपने आस-पड़ोस में स्कूलों की कमी का सामना करते हैं। समग्र डेटा को निम्नलिखित आंकड़े से आसानी से समझा जा सकता है:

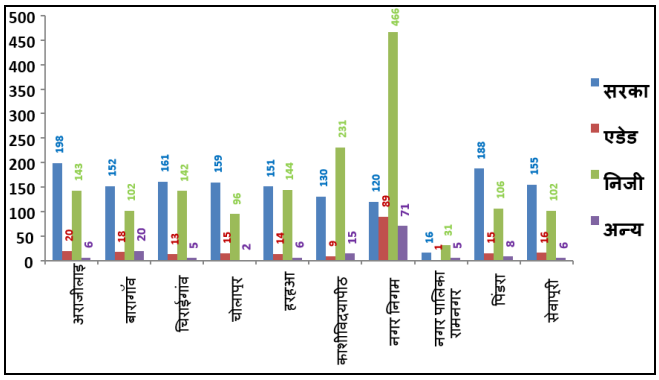

चित्र 5: वाराणसी जिले के सभी प्राथमिक विद्यालय (ब्लॉक-वार)

तालिका 6: सभी प्राथमिक विद्यालय (प्रबंधन)वाराणसी जिले में (वर्ष 2018-19)

वर्ग	स्कूलों की संख्या	प्रतिशत
शिक्षा विभाग	1398	41.77
जनजातीय कल्याण विभाग	15	00.45
स्थानीय निकाय	03	00.09
सरकारी सहायता प्राप्त	210	06.27
निजी गैर-सहायता प्राप्त (मान्यता प्राप्त)	1563	46.70
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	06	00.18
केंद्रीय विद्यालय	08	00.24
मदरसा मान्यता प्राप्त	144	04.30
कुल	3347	100.0

तालिका 6 वाराणसी में प्रबंधन के अनुसार कुल विद्यालयों की संख्या दर्शाती है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल प्राथमिक विद्यालय 1398, आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 15, स्थानीय निकाय के अंतर्गत 3, सरकारी सहायता प्राप्त 210, गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय 1563, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 6, केंद्रीय विद्यालय 8 और मान्यता प्राप्त मदरसे 144 हैं। कुल 41.77% प्राथमिक विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत, 6.27% प्राथमिक विद्यालय सरकारी सहायता से और 46.70% प्राथमिक विद्यालय मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों के रूप में चल रहे हैं। समग्र आँकड़ों को निम्नलिखित चित्र से आसानी से समझा जा सकता है:

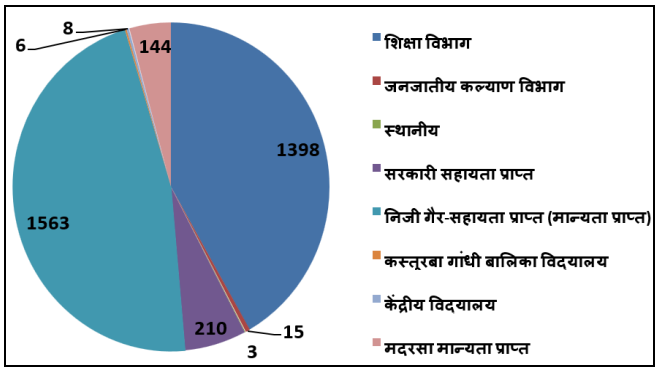

चित्र 6: वाराणसी जिले के सभी प्राथमिक विद्यालय (प्रबंधनवार)

तालिका 7: वाराणसी में सभी प्राथमिक विद्यालय (विद्यालय का प्रकार) (2018)-19)

ब्लॉक का नाम	लड़के	लड़कियाँ	सह-शिक्षा	स्कूलों की संख्या
अराजीलाइन्स	04	12	351	367
बारागाँव	04	08	280	292
चिराईगांव	00	02	319	321
चोलापुर	01	06	265	272
हरहुआ	02	00	313	315
काशीविद्यापीठ	02	05	378	385
नगर निगम	18	37	691	746
नगर पालिका रामनगर	01	02	050	053
पिंडरा	02	07	308	317
सेवापुरी	02	08	269	279
कुल	36	87	3224	3347

तालिका 7 वाराणसी में स्कूल के प्रकार के अनुसार स्कूलों की कुल संख्या दर्शाती है। कुल लड़कों के प्राथमिक विद्यालय 36 और लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय 87 हैं, और सह-शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय 3224 हैं। कुल 96.33% प्राथमिक विद्यालय सह-शिक्षा वाले हैं। 1.07% प्राथमिक विद्यालय केवल लड़कों के लिए और 2.60% प्राथमिक विद्यालय केवल लड़कियों के लिए हैं।

निष्कर्ष

शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने के साथ ही इसे मूल कर्तव्यों में शामिल कर इसे माता-पिता का कर्तव्य भी बनाया गया है। इस अधिनियम द्वारा बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है तथा उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान है। सरकार का यह अधिनियम वर्तमान में भारतीय राष्ट्र और समाज को एक विकसित एवं शिक्षित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए है। अब शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में व्यावहारिक रूप से लागू करने से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संभावनाएँ और भी अधिक बढ़ गई हैं। इस संबंध में, भले ही इस सच्चाई से इनकार किया जा सकता है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी इस अधिनियम को पारित करने में सरकार द्वारा एक बड़ी चुनौती पार कर ली गई है, किन्तु अब उसके समक्ष एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और वह है इस अधिनियम को समुचित रूप से क्रियान्वित करना, वांछित राशि की व्यवस्था करना तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समयबद्ध तरीके से इसका समुचित उपयोग सुनिश्चित करना।

संदर्भ

1. कपूर र. भारत में प्रारंभिक शिक्षा. 2018।
2. अग्रवाल ब, सिंह ह. भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में चुनौतियाँ: सर्व शिक्षा अभियान का एक विश्लेषण। NAAS जर्नल. 2017:138–143।
3. थापा र, सरकार क. भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा: बाधाएँ और सतत चुनौतियाँ। सामाजिक परिवर्तन. 2019;49:257–275। doi:10.1177/0049085719844105।

4. रस्तोगी श. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के बारे में अभिभावकों की जागरूकता: समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में। 2020। doi:10.13140/RG.2.2.32452.04484।
5. थापली आ. देहरादून में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन की स्थिति का अनुपालन। 2015। doi:10.13140/RG.2.1.4026.3525।

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.